तूत्तुक्कुडि पत्तन न्यास (अस्थायी सेवा) विनियम, 1979

(भारत के राजपत्र में दिनांक 1.3.1979 को प्रकाशित)

सा0का0नि0 सं0 99 (असा0) – महा पत्तन न्यास अधियिम, 1963 (1963 का 38) की धारा 28 के साथ पठित धारा 126 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :

1 लघु शीर्ष, आरंभ एवं आवेदन

(1) इन विनियमों को तूत्तुक्कुडि पत्तन कर्मचारी (अस्थायी सेवा) विनियम, 1979 कहे जाएँ।

(2) ये अप्रैल, 1979 की पहली तारीख से लागू होगें।

(3) ये उन सभी व्यक्तियों को लागू होगें, जो बोर्ड के अधीन पद संभालते हों लेकिन बोर्ड के अधीन के किसी भी पद पर कोई धारणाधिकारी पकड न रखे हुए है, बशर्ते कि वे निम्न को लागू नहीं होते :

(i) ठेके पर नियोजित कर्मचारी

(ii) कर्मचारी जो पूर्ण कालिक रोज़गार पर नहीं हैं

(iii) कर्मचारी जिन्हें आकस्मिकताओं से अदा किया जाता है

(iv) अतिरिक्त –अस्थायी स्थापनाओं में नियोजित व्यक्ति, अगर कोई, या कार्यप्रभारित स्थापना में

(v) कर्मचारियों का अन्य कोई वर्ग , जिसे बोर्ड द्वारा विर्निदिष्ट किया जाए

2 परिभाषा : इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ की अन्यथा जरूर न हो :–

(i) '' नियुक्ति प्राधिकारी '' का तात्पर्य, प्राधिकारी जिसे तूत्तुक्कुडि पत्तन न्यास कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) विनियम, 1979 के तहत पद के लिए नियुक्ति करने के शक्ति है।

(ii) '' कर्मचारी '' का तात्पर्य, बोर्ड का कर्मचारी।

(iii) '' अस्थायी कर्मचारी '' का तात्पर्य, बोर्ड के अधीन अस्थायी या स्थायी पद में, कार्यकाल एवं छुट्टी की अवधि में प्रभारी सेवा करना।

(iv) यहाँ प्रयुक्त किए गए शब्द एवं भाव तथा जिन्हें परिभाषित नहीं किया गया लेकिन महा पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) में परिभाषित किया गया है, को क्रमशः वहीं अर्थ होगें जो उस अधिनियम में उन्हें नियत किये गये हैं।

3 हटाया गया।

4 हटाया गया।

5 अस्थायी कर्मचारियों की सेवाओं का समापनः–

I (ए) अस्थायी कर्मचारियों की सेवा, नियुक्ति प्राधिकारी को कर्मचारी द्वारा या नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा कर्मचारी को, लिखित रूप में या किसी भी समय नोटिस देते हुए , समापन करने लिए उत्तरदायी होगें।

(बी) ऐसी सूचना की अवधि एक महीने तक की होगी, जबतक कि अन्यथा नियुक्ति अधिकारी तथा कर्मचारी द्वारा इसके लिए सहमत नहीं होते।

बशर्ते कि इस प्रकार के कर्मचारी की सेवा को, नोटिस की अवधिया ऐसी अवधि जो ऐसी सूचना के लिए एक महीने से कम होती हो या इस उप विनियम के खंड (बी) के तहत कोई और सहमत अवधि, जैसी स्थिति हो, के लिए उसके वेतन सहित भत्ताओं की रकम के समतुल्य राशि को उन्हें भुगतान करते हुए, तुरंत समाप्त कर दिया जाए ।

बशर्ते कि प्रतिपूरक (शहर) एवं घर किराया भत्ताओं , जहाँ लागू है, को सूचना अवधि की समाप्ति पर, और नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा कर्मचारी सूचना की अवधि के दौरान स्टेशन पर ही आवास रहे जहाँ वे पिछली बार नियोजित हुए, इस तथ्य को बर्दाश्त नहीं करते हुए कि उन्हें उसी स्टेशन में, वापस आने के बाद फिर से कार्यभार संभालने की संभावना नहीं है, प्रमाणित किए जाने के बाद, अदा किया जाएगा।

" **टिप्पणी** " – खंड (ए) के तहत, ऐसे कर्मचारियों को सूचना देने से पहले नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित पद्धति को अपनाया जाना चाहिए :–

(i) कर्मचारी को व्यक्तिगत रूप में सूचना दिया या सौंपा जाना चाहिए।

(ii) जहाँ व्यक्तिगत सेवा व्यवहार्य नहीं हो सकता, तो ऐसे कर्मचारी को सूचना पंजीकृत डाक के माध्यम से दिया जाएगा और नियुक्ति प्राधिकारी के पास, कर्मचारी के पते पर उसकी पावती का प्रमाण होना चाहिए।

(iii) अगर पंजीकृत डाक से भेजी गई सूचना प्राप्त किए गए बगैर वापस लौट जाता है तो इसे सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किया जाना चाहिए और ऐसे प्रकाशन के उपरान्त, पत्तन जहाँ स्थित है, उस राज्य के सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख पर ऐसे कर्मचारी को व्यक्तिगत रूप से उसे दिए जाने के तौर पर माना जाएगा। "

2(ए) जब कभी भी नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अस्थायी कर्मचारी की सेवा को नोटिस देते हुए समाप्त किया जाता है या ऐसे किसी कर्मचारी के सेवा को, ऐसी सूचना की अवधि समाप्त हो जाने पर या वेतन सहित भत्ताओं की अदायगी करते हुए तुरंत समाप्त किया जाता है तो, बोर्ड या अध्यक्ष अपने खुद के प्रस्ताव से या अन्यथा, मामले को फिर से खोल सकते हैं और मामले की रिकार्डों को मंगवा कर, जैसे उपयुक्त समझे इस पर जाँच करने के बाद :–

(i) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा ली गई कार्यवाही की पुष्टि कर सकते हैं ; या

(ii) सूचना वापस लेना ; या

(iii) सेवा में कर्मचारी को वापस लेना ; या

(iv) मामले में, जैसा उपयुक्त हो विचार करते हुए ऐसा आदेश पारित करना ;

बशर्ते कि तीन महीनें बीत जाने के बाद,इस उप खंड के तहत कोई भी मामला फिर से खोला नहीं जाएगाः

(i) उस मामले में जहाँ सूचना दी गई हो, सूचना की तारीख से ;

(ii) उस मामले में जहाँ कोई सूचना नहीं दी गई हो, सेवा के समापन होने की तारीख से ।

(बी) बहाली के आदेश के उप विनियम (1) के तहत सेवा में जहाँ कर्मचारी को बहाली किया जाता है , तो कृपया बताएँ कि :

(i) वेतन और भत्तों के अनुपात की मात्रा, अगर कोई जिसे कर्मचारी द्वारा , सेवा के समापन की तारीख और बहाली की तारीख के बीच की अवधि में उसकी अनुपस्थिति के लिए अदा किया जाना है; और

(ii) क्या उक्त अवधि को, किसी विनिर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए कार्यभार पर बिताए गई अवधि के रूप में माना जाएगा।

6 शारीरिक अयोग्यता के होते अस्थायी सेवा का समापन करना

विनियम 5 में, इसके बावजूद कुछ भी निहित है, कर्मचारी की अस्थायी सेवा को, प्राधिकारी द्वारा, जो उसे सेवा में स्थायी नियुक्ति देने से उसे स्थायी रूप में अक्षम होने के रूप में घोषणा करने का अधिकार रखते हैं, सेवा में कायम होने के लिए शारीरिक अयोग्यता के रूप में घोषणा करने पर, किसी भी समय, कोई भी सूचना दिए बगैर, समापन किया जा सकता है।

7 हटाया गया।

8 हटाया गया ।

9 अस्थायी कर्मचारी को अवसान उपदान का भुगतान

(ए) उसकी सेवा को पूरा हुए प्रत्येक एक वर्ष के लिए एक महीने का वेतन, अगर उसने सेवानिवृत्त, छुट्टी या अवैधता के समय पर, दस वर्ष से कम नहीं की लगातार सेवा पूरा की है ;

(बी) उसकी सेवा को पूरा हुए प्रत्येक एक वर्ष के लिए एक महीने का वेतन, बशर्ते कि पंद्रह महीने का वेतन या पंद्रह हज़ार रुपए अधिकतम, जो भी कम है, अगर उसने सेवानिवृत्त, छुट्टी या अवैधता के समय पर, दस वर्ष से कम नहीं की लगातार सेवा पूरा की है ;

बशर्ते कि इस उप विनियम के तहत अदा किए जाने वाले अवसान उपदान की रकम, उस रकम से कम नहीं होगी, जो कि कर्मचारी को भविष्य निधि को पत्तन के अंशदान के बराबर मिला होता , अगर उसके स्थायी सेवा में लगातार होने की तारीख से अंशदायी भविष्य निधि योजना का वह सदस्य हुआ होता, बशर्ते कि मिलान योगदान उसके वेतन के 8 1/3 % से ज्यादा नहीं है।

(1–ए) अस्थायी कर्मचारी के मामले में, जो कि अनुशासनिक मापन की वज़ह से सेवा से अनिवार्य सेवानिवृत्ति होता है तो, उप विनियम (1) का प्रावधान लागू होगा, बशर्ते कि यह संशोधन होता है कि उसके मामले में अदा किए जाने वाला उपदान का दर, दो तिहाई से कम नहीं होना चाहिए , लेकिन किसी भी हाल में खंड (ए) या जैसी स्थिति हो, उप विनियम (1) के खंड (बी) में निहितानुसार के दर से ज्यादा नहीं है।

(1–बी) अस्थायी कर्मचारी के मामले में, जो अधिवार्षिता की आयु प्राप्त होने या उसके द्वारा दस वर्ष से कम नहीं की अस्थायी सेवा करने के बाद उसे उपयुक्त चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा आगे की सेवा के लिए स्थायी रूप से अक्षम होने के रूप में घोषित किया जाता है या जिसने 20 वर्षों की सेवा पूरा होने पर लिखित रूप में तीन महीने की

सूचना देते हुए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति मांगते हुए सेवा से सेवानृित्त होते हैं, तो उप विनियम (1) के प्रावधान और तूत्तुक्कुडि पत्तन न्यास (नियमों का अनुकूलन) विनियम, 1979 द्वारा अपनाए गए केन्द्रीय सिविल सेवा (पेन्शन) नियम, 1972 के प्रावधानों के अनुसरण में, लागू नहीं होगें :–

(i) ऐसे कर्मचारी को अधिवार्षिता का ग्रान्ट, अमान्य या सेवानिवृत्त पेन्शन जैसी स्थिति हो, एवं सेवानिवृत्ति उपदान और

(ii) सेवानिवृत्ति के बाद उनकी मौत हो जाने पर, उसके परिवार के सदस्य, परिवार पेन्शन के ग्रान्ट के लिए योग्य होगें।

(2) सेवा के दौरान, मृत हुए अस्थायी कर्मचारियों के मामले में, उसका परिवार, परिवार उपदान एवं मृत उपदान के लिए उसी मान पर योग्य होगा जो कि इन प्रावधानों के अधीन एक स्थायी कर्मचारी को, केन्द्रीय सेवा (पेन्शन) नियम, 1972 के तहत लागू होता है और जिसे तूत्तुक्कुडि पत्तन न्यास (नियमों का अनुरूपण) विनियम, 1979 द्वारा अपनाया गया ।

(3) किसी भी कर्मचारी को, इन विनियम के अधीन कोई भी उपदान लागू नहीं होगा –

(ए) जिसने अपने पद से स्तीफा दे दिया हो या जिसे अनुशासनिक मापन के रूप में सेवा से बरखास्त कर दिया गया हो ;

(बी) जिसे अधिवार्षिता पर सेवानिवृत्त या सेवानिवृत्त पेन्शन पाने के उपरान्त पुनःनियोजित किया गया हो।

''बशर्ते कि अस्थायी कर्मचारी, जिसने सरकार द्वारा पूर्णतया या आंशिक तौर पर स्वामित्व या नियंत्रित निगम या कंपनी या सरकार द्वारा नियंत्रित संकाय या वित्तीय सहयोग के अधीन नियुक्ति के लिए पूर्व अनुमति लेने के बाद, सेवा इस्तीफा दे दी हो, को बोर्ड के अधीन उसके द्वारा की गई सेवा के मामले में, उप विनियम (1) के अधीन निर्धारित तारीख पर टर्मिनल उपदान अदा किया जाएगा '' ।

''बशर्ते कि अस्थायी कर्मचारी, जिसे प्राधिकृत प्राधिकारी की अनुमति के साथ केन्द्रीय स्वायत्त निकाय में परायण कर लिया गया है, को स्वायत्त निकाय के अधीन पेन्शन के उद्देश्य के लिए बोर्ड के अधीन की गई सेवा की गणना के लिए विकल्प दिया जाएगा, कि अगर पहले प्रावधान के तहत टर्मिनल उपदान के बदले पेन्शन योजना है''

स्पष्टीकरण :

इस उप विनियम के उद्देश्य के लिए :–

(i) केन्द्रीय स्वायत्त निकाय का तात्पर्य सेस से या केन्द्र सरकार के ग्रान्ट से पूर्णतया या आंशिक तौर पर वित्तीय सहयोग वाले निकाय जिसमें केन्द्रीय सांविधिक निकाय या केन्द्रीय विश्वविद्यालय शामिल हैं लेकिन सार्वजनिक निकाय शामिल नहीं है जो कि सार्वजनिक उद्यम ब्यूरों के कार्यक्षेत्र के अधीन आता है।

(ii) ''काफी वित्तपोषित'' का तात्पर्य है, व्यय के 50% से ज्यादा को सेस द्वारा या केन्द्र सरकार के ग्रान्ट से चुकाया जाता है ।

4 छोडा गया।

(5) जहाँ इस विनियम के अधीन उपदान को अदा किया गया है या कर्मचारी के मामले में, जिसे केन्द्रीय सिविल सेवा (पेन्शन) नियम, 1972 के नियम 54 द्वारा अन्तर्निहित नहीं है, और जिसे अन्य उपदान या पेन्शन लाभों को अदा किया जा सकता।

(6) इस विनियम के उद्देश्य के लिए :

(ए) उपदान को वेतन के आधार पर गणना की जाएगी, जिसे कर्मचारी सेवानिवृत्ति से पहले या उसके मृत होने की तारीख पर, तुरंत प्राप्त करेगा।

(बी) वेतन का तात्पर्य है, मूलभूत नियम 9 (21) (ए) (i) में परिभाषितानुसार ।

(सी) असाधारण छुट्टी की अवधि, संबंधित कर्मचारी द्वारा अगर कोई असाधारण छुट्टी का लाभ उठाया गया हो तो, पूरी सेवा की गणना के लिए उसे ऐसे ही लेखे में लिया जाएगा जैसे कि तूत्तुक्कुडि पत्तन न्यास (नियमों का अनुरूपण) विनियम, 1979 द्वारा अपनाये गये केन्द्रीय सिविल सेवा (पेन्शन) नियम, 1972 के नियम 21 के अधीन पेन्शन तथा सेवानिवृत्त उपदान/मृत उपदान की गणना के उद्देश्य के लिए गणना किया जाता है, और

(डी) अर्जित छुट्टी की करेन्सी के दौरान अर्जित वेतनवृद्धि 120 दिनों से ज्यादा नहीं होती या अर्जित छुट्टी के पहले 120 दिनों के दौरान, जो कि सेवानिवृत्ति की तारीख को, 120 दिनों से ज्यादा होता है, और जिसे टर्मिनल मृत उपदान की गणना के उद्देश्य के लिए वेतन का अंश होने पर भी वास्तविक रूप में निकासी नहीं किया गया ।

10 हटाया गया।

प्रमुख विनियम :

(i) दिनांक 1 मार्च, 1979 को भारत के राजपत्र असाधारण में सा0का0नि0 99 (असा0) में प्रकाशित , तूत्तुक्कुडि पत्तन कर्मचारी (अस्थायी सेवा) विनियम, 1979।

(ii) दिनांक 20 सितंबर, 1980 को भारत के राजपत्र असाधारण में सा0का0नि0 968 में प्रकाशित , तूत्तुक्कुडि पत्तन कर्मचारी (अस्थायी सेवा) संशोधन विनियम, 1979।

(iii) दिनांक 22 मार्च, 1985 के पोत परिवहन एवं यातायात मंत्रालय की अधिसूचना सं0 पीडबल्यू/पीइआर –15–84 के जरिए सा0का0नि0 291 (असा0) में प्रकाशित , तूत्तुक्कुडि पत्तन कर्मचारी (अस्थायी सेवा) विनियम, 1984।

(iv) दिनांक 6 नवंबर, 1991 को भारत के राजपत्र असाधारण में सा0का0नि0665 (असा0) में प्रकाशित , तूत्तुक्कुडि पत्तन कर्मचारी (अस्थायी सेवा) तीसरा संशोधन विनियम, 1991।